WEB COPY

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू

पीठासीन अधिकारीः डॉ. नरेन्द्र थोरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या–2019/00037 दायर दिनांक 25.07.2019

1. हुणतसिंह पुत्र रिड़मलसिंह जाति राजपूत निवासी राऊ टिब्बा तहसील राजगढ जिला चूरू

–अपीलांट–

बनाम

1. ग्राम पंचायत विजयपुरा (पंचायत समिति राजगढ़) जरिए सरपंच ग्राम पंचायत विजयपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज.)
2. विजयसिंह पुत्र जगुसिंह जाति राजपूत निवासी राऊ टिब्बा तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज.)
3. हनुमानसिंह पुत्र जगुसिंह जाति राजपूत निवासी राऊ टिब्बा तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज.)
4. जीवराज सिंह पुत्र जगुसिंह जाति राजपूत निवासी राऊ टिब्बा तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज.)
5. महेन्द्रसिंह पुत्र गीगसिंह जाति राजपूत निवासी राऊ टिब्बा तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज.)
6. रामकुमार सिंह पुत्र गीगसिंह जाति राजपूत निवासी राऊ टिब्बा तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज.)
7. मदनसिंह पुत्र भगीरथ सिंह जाति राजपूत निवासी राऊ टिब्बा तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज.)
8. किशोरसिंह पुत्र हनुमानराम जाति नाई निवासी राऊ टिब्बा तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज.)
9. धर्मेन्द्रसिंह पुत्र भागीरथ सिंह जाति राजपूत निवासी राऊ टिब्बा तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज.)
10. विजयसिंह पुत्र सुरजनसिंह जाति राजपूत निवासी राऊ टिब्बा तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज.)
11. गिरभानसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी राऊ टिब्बा तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज.)
12. विरेन्द्रसिंह पुत्र उदमीराम जाति जाट (सिहाग) निवासी विजयपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू (राज.)

–रेस्पोण्डेण्ट्स–

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.06.2019 ग्राम पंचायत विजयपुरा, अंतर्गत धारा 225, 251(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

Scanned by CamScanner

WEB COPY

उपस्थित :–

1. श्री जगदीश प्रसाद कस्वां अधिवक्ता वास्ते अपीलांट

निर्णय

दिनांक : 04.12.2019

यह अपील श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चूरु के न्यायालय से दिनांक 25.07.2019 को, स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज (ऑनलाईन पोर्टल) की गई। इस अपील में अपीलांट के मुख्य कथन इस प्रकार है:–

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 के अंतर्गत ग्राम पंचायत विजयपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2019 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट की कृषि भूमि ख.नं. 17 रोही मौजा राऊ टिब्बा तहसील राजगढ़ जिला चूरू में से सिर्फ एक रास्ता गुजरता है जो आज भी चालू है उक्त रास्ता से ही सदैव आदमी धन पशु ऊंट गाड़ा ट्रेक्टर आदि का आवागमन होता रहा है व आज भी हो रहा है। अपीलान्ट के द्वारा अपनी कृषि भूमि की रक्षा व सुरक्षा के लिए बाड़ वगैरा ठीक है कोई रास्ता बन्द नहीं किया है बाड़ वगैरा करते समय व काश्त करते समय बिना काश्त के मौसम में सुविधा के हिसाब से अस्थायी रूप से पगडंडी के बने निशानों को रास्ता मानकर रास्ता को बन्द बताकर खुलवाने का जो आदेश जेर बहस अपील पारित किया है वो काबिले खारिज है।

अपीलान्ट की कृषि भूमि मे से एक रास्ता खेतों का रहा है जो चालू है एक रास्ता कटाणी है जो चालू है हल्का पटवारी की रिपोर्ट के मुताबिक अपीलान्ट के खेत मे दो रास्ते बराबर पूर्व से पश्चिम बताए गये है जो सरासर गलत बताये गये है एक खेत मे से बराबर दो रास्ते होना न तो मुमकिन है व न ही उचित है ऐसी सूरत मे ऐसी रिपोर्ट को आधार बनाकर पारित आदेश पारित किया गया है। विद्वान मातहत ग्राम पंचायत के द्वारा जिस खसरा नम्बर मे से विवादित रास्ता को खोलने के आदेश दिये गये है वो भूमि संयुक्त खातेदारी कब्जा काशत की भूमि है शिकायतकर्ताओ ने सिर्फ अपीलान्ट की शिकायत की है अन्य सहखातेदारान को न तो सुना गया है न सूचित किया गया है न ही उनके विरूद्ध कोई आदेश है ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

ग्राम पंचायत द्वारा जो आदेश जेर बहस अपील पारित किया गया है उसका आधार हल्का पटवारी व पंचान की रिपोर्ट को बनाया गया है इन रिपोर्ट पर सिर्फ रिपोर्ट तैयार करने वालो के ही हस्ताक्षर और किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा मोतवीर के कोई हस्ताक्षर नहीं है। मौका देखने से पूर्व अपीलान्ट व अन्य किसी को कोई सूचना नही दी गई है ऐसी सूरत मे तैयार की गई रिपोर्ट को आधार बनाकर पारित किया गया।

अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का कोई मौका नहीं दिया गया है सारी

Scanned by CamScanner

WEB COPY

कार्यवाही पार्टीबाजी से की गई है जो कि प्राकृतिक न्याय व विधि के सर्व मान्य सिद्धान्तों के विपरीत है ऐसी सूरत में बिना सुनवाई व सबूत का अवसर दिये पारित आदेश जेर बहस अपील काबिले खारिज है।

आदेश जेर बहस अपील दिनांक 15.06.2019 विद्वान ग्राम पंचायत विजयपुरा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। जिसकी बाबत अपीलान्ट को पहले कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 2.7.2019 को गाँव में अपीलान्ट ने यह चर्चा सुनी की हुणतसिंह के खेत के रास्ते का जो विवाद है उसके सम्बन्ध में आज पुलिस आयेगी। इस पर अपीलान्ट को आंशिक जानकारी हुई तब अपीलान्ट दिनांक 3.7.2019 को ग्राम पंचायत कार्यालय विजयपुरा गया व पुछताछ कर निर्णय जेर बहस अपील की व अन्य कागजात की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने का आवेदन पत्र पेश किया इस पर दिनांक 3.7.2019 को ही निर्णय जेर बहस अपील की व अन्य कागजात की प्रमाणित प्रतिलिपियां हासिल हुई तब अपीलान्ट को पूर्ण जानकारी हुई फिर अपीलान्ट अपील पेश करने हेतु रूपयों का प्रबन्ध करने में लग गया रूपयों का प्रबन्ध होते ही आज चूरू चलकर आया है व पूर्ण जानकारी की दिनांक से अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद पेश की जा रही है।

रेस्पोडेन्ट्स की तलबी होने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई हाजिर नहीं आया। ग्राम पंचायत विजयपुरा की मूल पत्रावली निर्णय दिनांक 15.06.2019 तलब की गई। ग्राम पंचायत विजयपुरा की ओर से कोई हाजिर नहीं आये। इसलिए अपीलांट्स के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को अपनी बहस में दोहराते हुए कहा कि अपीलांट के खेत ख.नं. 17 रोही ग्राम राऊ टिब्बा में से सिर्फ एक रास्ता गुजरता है जो वर्तमान में चालू है। अपीलांट द्वारा अपने खेत की बाड़ कृषि भूमि व फसल की रक्षा केलिये ठीक की गई है। किसी प्रकार का रास्ता बंद नहीं किया गया है। बिना काश्त के मौसम में आस–पास के खेतों के काश्तकार अपने खेतों से अपीलांट के खेत में से अलग–अलग जगह से अस्थाई पगडंडी बनाकर जाने लगे जिसे उन्होंने रास्ता होना जाहिर किया और रेस्पो0 द्वारा ग्राम पंचायत विजयपुरा के समक्ष रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा रास्ता खुलवा दिया गया। जबकि रास्ता खुलवाने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है।

ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर रास्ता खुलवाने का आदेश पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 में प्रचलित रास्ता बंद करने पर उसे सरसरी जांच कर खुलवाने का अधिकार तहसीलदार को है। धारा 251 के तहत ग्राम पंचायत को जो अधिकार notification No. F.5(21)Rev./GR.IV/80/34 दिनांक 04.09.1982 द्वारा दिये गये थे वो No.F.3(2) Rev-

Scanned by CamScanner

VI/2003/pt/18 – Jaipur, dated: 06.07.09 द्वारा rescind कर दिये गये है। ऐसे में ग्राम पंचायत को जब क्षेत्राधिकार ही हासिल नहीं है तो ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश स्वतः ही शून्य हो जाता है। अपने तर्क के समर्थन में आर.आर.टी. 2018(1) पेज 118 पेश की।

WEB COPY

अपीलांट के अधिवक्ता की बहस, तर्कों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया। राज्य सरकार के राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक No.F.3(2) Rev-VI/2003/pt/18 – Jaipur, dated:06.07.09 के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि कृषि भूमि रास्ता संबंधी विवाद को निस्तारण करने का अधिकार ग्राम पंचायत को पूर्व में September 4, 1982 (No.F.5(21) Rev./Gr.4/80/34) द्वारा दिये गये थे, उन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने नोटिफिकेशन No.F.3(2) Rev-VI/2003/pt/18 Jaipur, dated:06.07.09 से तुरंभ प्रभाव से रद्द/अमान्य (Rescinds) कर दिया गया है। रास्ता संबंधी विवाद को सुनवाई करने का अधिकार दिनांक 06.07.09 को समाप्त होने के कारण ग्राम पंचायत इस बाबत् प्रकरणों को नहीं सुन सकती है। इस नोटिफिकेशन के प्रभाव में आने की तिथि 06.07.09 के बाद ग्राम पंचायत विजयपुरा द्वारा ग्राम राऊ टिब्बा के कृषि भूमि में आवागमन संबंधी विवाद का दिनांक 15.06.2019 को निर्णय दिया गया था, जो कि अधिकार क्षेत्र से पूर्णतः बाहर था। ग्राम पंचायत विजयपुरा द्वारा दिया गया निर्णय दिनांक 15.06.2019 प्रारंभ से ही प्रभावशून्य (Null and void) होता है। राज्य के नोटिफिकेशन दिनांक 06.07.09 के प्रभाव में आने के पश्चात से कृषि भूमि के रास्ता संबंधी विवादों का निस्तारण का अधिकार संबंधित तहसीलदार को है। इसलिए अपीलांट की अपील स्वीकार करने योग्य पाई जाती है।

उपर्युक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत विजयपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.06.2019 को अपास्त किया जाता है। मूल रिकॉर्ड निर्णय की प्रति के संलग्न कर भेजा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
चूरू

Scanned by CamScanner